308

संख्या– 91 /XXIV-4/2011–10(43)2010

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनःदिनांक 28 मार्च, 2013

विषयः–ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिये विशेष सुविधा योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5ख 3/42166/बालिका शिक्षा/2012–13, दिनांक 03–10–2012 तथा पत्र संख्या–5ख–3/57306/बालिका शिक्षा/2012–13, दिनांक 02 फरवरी, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिए विशेष सुविधा योजनान्तर्गत जनता इण्टर कालेज रमाड़डांग, जनपद, पौड़ी गढ़वाल में शौचालय निर्माण हेतु संस्तुत लागत कुल ₹ 2.69 लाख (रूपये दो लाख उन्नतर हजार मात्र) (₹ 2.59 सिविल कार्यो हेतु व ₹ 0.10 लाख अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्य हेतु) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि स्वीकृत किए जाने की नियमानुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी ।

2– कार्य करने पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृति की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

3– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

4– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य शैली का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनरूप ही कार्य कराया जाय।

5– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

6– आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। कार्य को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार प्रत्येक दशा में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्य हेतु

.....2

H.S.

कार्यदायी संस्था से वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVVi(7)/2008 दिनांक 15–12–2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 भी अवश्य हस्ताक्षरित कर लिया जाय।

7– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XVi–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

8– यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि ससमय राजकोष में जमा की जायेगी।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त आगणन में प्राविधानित धनराशि ₹ 0.10 लाख के कार्यो हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. आगणन की एक प्रति इस आशय से संलग्न की जा रही है कि सम्बन्धित निर्माण ईकाई को उपलब्ध करायी जाय। आगणनों के अनुसार निर्माण इकाई निर्माण कार्यों को सम्पादित करेगी।

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या –11 के अधीन आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–110–गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता–04–अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता–0402–माध्यमिक विद्यालयों में पढ रही बालिकाओं के लिये विशेष सुविधा हेतु अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामें डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–332(P) XXVII (3)/2012–13 दिनांक 25 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या– 91 (1)/ XXIV-4/2013 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री को मा0 शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
6. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
7. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–3 उत्तराखण्ड सचिवालय।
8. कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)।
9. एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऊषा शुक्ला)
अपर सचिव।

H.S